

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
रुधमसिंह नगर क्षेत्र, रुद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं०: 118/2023-24

दिनांक : 04.09.2023

उपस्थित: श्री रमेश चन्द्र कुकरेती
(न्यायिक सदस्य)

श्री नवीन चन्द्र तिवारी
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री दीप चन्द्र पाण्डे पुत्र श्री चिन्तामणी पाण्डे,
हरीपुरा नं० 04, तहसील गदरपुर।

परिवादी

बनाम
अधिशाली अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड, रुद्रपुर-2

विपक्षी

निर्णय

परिवादी श्री दीप चन्द्र पाण्डे पुत्र श्री चिन्तामणी पाण्डे की यह शिकायत दिनांक 20.07.2023 को कार्यालय, विद्युत वितरण खण्ड, रुद्रपुर-2 के अन्तर्गत गूलरभोज, पंचायत घर में आयोजित शिविर के दौरान इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के समक्ष प्रस्तुत की गई। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या-RU1C209151341 (03 किलोवाट घरेलू) पर लगा विद्युत मीटर लाईन फाल्ट होने के कारण जल गया था जिसकी शिकायत ऑनलाईन दर्ज करायी गयी थी जिसके बाद विभाग द्वारा विद्युत मीटर बदल दिया और विद्युत बिल जारी किया गया था। विभाग द्वारा जो विद्युत बिल जारी किया गया है वह बहुत अधिक है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने विद्युत बिल (रु० 17618.00) को संशोधित कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशाली अभियन्ता को अविलम्ब रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

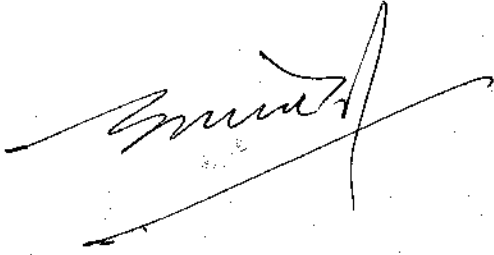
विपक्षी विभाग के अधिशाली अभियन्ता ने दिनांक 04.09.2023 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर इस मंच को अवगत कराया कि परिवादी का मापक मई 2023 में बदला गया था तथा पुराने मापक में परिवादी की रीडिंग माह 11/2022 में 8299 यूनिट थी। उसके उपरान्त के परिवादी के 03 बिलों के

क्रमशः 2.....

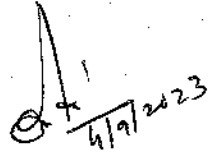
मीटरड यूनिट औसत के आधार पर संशोधित बिल रू0 15772.00 का बना दिया गया है जिसे परिवादी द्वारा जमा भी करा दिया गया है। साथ ही विपक्षी विभाग द्वारा वसूले गये परिवादी के जले हुए विद्युत मीटर का शुल्क रू0 799.00 उसके विद्युत बिलों में समायोजित कर दिया गया है। वर्तमान समय में परिवादी का विद्युत बिल रू0 (-) 799.00 का बना है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जबाब के साथ साक्ष्य स्वरूप संशोधित कंप्यूटर लेजर की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तदनुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

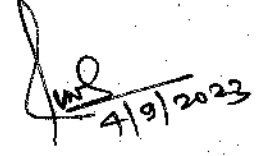
परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तदनुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज-1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता है।



(रमेश चन्द्र कुकरेती)
न्यायिक सदस्य



(नवीन चन्द्र तिवारी)
तकनीकी सदस्य



(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य